न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 66 / 2018
आदेश

29.03.2022 उभय पक्षों की ओर से पैरवी की गई है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दो आवेदन दिनांक 24.01.2022 जो आदेश 22 नियम 04 व 09 सी0पी0सी0 एवं एक अन्य आवेदन दिनांक 15.02.2022 को परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तीनों आवेदन को संचालित करते हुए कथन किए हैं कि इस वाद के दौरान प्रतिवादी सं0 01 मो0 छेदी की मृत्यु दिनांक 29.03.19 को हो गई है। प्रतिवादी सं0 01 मो0 छेदी के दो पुत्र मो0 सालाहउद्दीन, मो0 रहीम और चार पुत्रियाँ को इस वाद में प्रतिवादी सं0 01 के स्थान पर पूर्व में प्रतिस्थापित किया जा चुका है। आगे कथन किया गया है कि जानकारी के अभाव में प्रतिवादी सं0 01 मो0 छेदी के विधिक वारिसान के रूप में तीन अन्य पुत्र क्रमशः मो0 जियाउद्दीन, मो0 ईरशाद एवं मो0 कियाम को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका। यदि यह वाद प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध उपसमित हो गया है तो वैसी स्थिति में उपसमन को निरस्त करते हुए एवं आवेदन दाखिल करने में हुई विलम्बता को माफ करते हुए उनके बचे विधिक वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

दूसरी तरफ प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी के आवेदन दिनांक 24.01.22 को दाखिल आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 08.02.2022 को दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को दाखिल दोनों आवेदन पोषणीय नहीं है। आगे कथन किया गया है कि उपरोक्त आवेदन समय सीमा के बाद दिया गया है साथ ही विलंब का उचित कारण नहीं दिखाया गया है। अतः निवेदन है कि वादी के आवेदन दिनांक 24.01.22 को खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद अभिलेख उपस्थिति हेतु चल रहा है। इस वाद के प्रतिवादी सं0 01 मो0 छेदी की मृत्यु दिनांक 29.03.2019 को हो गई है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.01.2022 को न्याय के हित में कालबाधिता को समाप्त करते हुए, उपसमन को अपास्त करते हुए स्वीकार किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि 14 दिनों के अन्दर मृतक प्रतिवादी सं0 01 मो0 छेदी के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों मो0 जियाउद्दीन, मो0 ईरशाद एवं मो0 कियाम को प्रतिस्थापित करें।
वाद दिनांक ..... वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश